12.07.19

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर, 492002

क्रमांकःएफ 18–05/2018/नौ/55–4 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांकः 12/7/19

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में रेडियोथेपरेपी, कीमोथेरेपी एवं डायलिसिस को अन्तःरोगी (In-Patient) मानकर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरणों के अवलोकन से संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने समय रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तथा डायलिसिस के प्रकरणों में हुए उपचारों को ओ.पी.डी. (O.P.D.) से किया गया उपचार मानकर इन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जा रहा है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एवं डायलिसिस; उपचार की ऐसी प्रक्रियाएँ है, जिसमें मरीजों को काउच अथवा बिस्तर में कुछ घण्टों के लिए बाधित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उपचार को आरंभ करने के पूर्व गंभीर आंतरिक रोगियों के उपचार के समान उपचार पूर्व आवश्यक व्यवस्था जैसे–इमरजेंसी ड्रग ट्रे, आई.व्ही.लाईन, ऑक्सीजन सक्शन, मल्टीपैरामॉनीटर एवं डिफिब्रिलेटरों की आवश्यकता पड़ती है।

3/ अतः उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर, राज्य शासन एतद्द्वारा स्पष्ट करता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एवं डायलिसिस को अन्तःरोगी (In-Patient) मानकर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0 मोटवानी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

/2...

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक:एफ 18–05/2018/नौ/55–4 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक: 12/7/19

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
9. सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
15. संचालक स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/आयुष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर अपने विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in एवं www.cgdme.co.in में अपलोड करने हेतु।
16. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. निज सहायक, समस्त मंत्री/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ, रायपुर।
18. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अनु.जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
20. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
21. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/रायगढ़/राजनांदगांव, प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
22. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट–www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।
26. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner